न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व अपील संख्या 08/2019

1. प्रतापसिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी श्रीराजधानपुरा ग्राम पंचायत दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी श्रीराजधानपुरा ग्राम पंचायत दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान
3. श्रीमती प्रेमकंवर पुत्री श्री बन्नेसिंह एवं पत्नि श्री जोरावरसिंह जाति राजपूत हाल निवासी ताज खां का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राजस्थान
4. श्रीमती नन्दाकंवर पुत्री श्री बन्नेसिंह एवं पत्नि श्री नन्दसिंह जाति राजपूत हाल निवासी ताज खां का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राजस्थान
5. श्रीमती कमला कंवर पुत्री श्री बन्नेसिंह एवं पत्नि श्री शिवराजसिंह जाति रापजूत हाल निवासी शिवपुरा ग्राम पंचायत नयागांव तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान
6. श्रीमती गणेशकंवर पुत्री श्री बन्नेसिंह एवं पत्नी श्री भंगवानसिंह जाति राजपूत हाल निवासी शिवपुरा ग्राम पंचायत नयागांव तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान
7. श्रीमती सुगनकंवर पत्नी श्री बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी श्री राजधानपुरा ग्राम पंचायत दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान
8. हनुमानसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी बाढ चौहान, ग्राम पंचायत ठीकरिया मीणान तहसील कोटखावदा जिला जयपुर
9. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी बाढ चौहान ग्राम पंचायत ठीकरिया मीणान तहसील कोटखावदा जिला जयपुर
10. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी बाढ चौहान ग्राम पंचायत ठीकरिया मीणान तहसील कोटखावदा जिला जयपुर
11. सुश्री सुनीताकंवर पुत्री श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी बाढ चौहान ग्राम पंचायत ठीकरिया मीणान तहसील कोटखावदा जिला जयपुर

––––––––––अपीलार्थी

ब ना म

1. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार मसूदा, तहसील कार्यालय मसूदा
2. ग्राम पंचायत खरवा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खरवा, पं.स. मसूदा जिला अजमेर

––––––––––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण प्रविष्ठी संख्या 3078 ग्राम सभा बैठक दिनांक 20.12.18 प्रस्ताव संख्या 6 ग्राम पंचायत खरवा द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।

निर्णय दिनांक 18.07.2019

अपीलार्थीगण ने अपील प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि ग्राम खरवा पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम की पद संख्या 1(क) में वर्णित आराजी खसरा संख्या 2250/1 रकबा 18–03–10 किस्म बा.3 तथा पद संख्या 1 (ख) में वर्णित खसरा संख्या 2249 रकबा 02–10–00 किस्म बा. 3, 2250/2 रकबा 00–08–00 किस्म बा.3 स्थित है जिसमें से पैरा क में अपीलार्थी के पिता/नाना बन्नेसिंह वल्द सार्दुलसिंह कौम राजपूत एवं उमाकान्त देवी पत्नी श्री केशवसेन के नाम दर्ज है तथा पैरा ख अपीलार्थी के पिता/नाना बन्नेसिंह वल्द सार्दुलसिंह कौम राजपूत के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस पर अपीलार्थी के पिता/नाना अपने जीवनकाल में काबिज काश्त थे एवं वर्तमान में अपीलार्थीगण काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। उक्त आराजी के मालिक खातेदार बन्नेसिंह की मृत्यु दिनांक 23.01.2001 को हो गई, उसके पश्चात् इनके वारिस अपीलार्थी ही काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

निरन्तर––––

बन्नेसिंह की मृत्यु के पश्चात् उनके फौते दाखिल खारिज हेतु अपीलार्थीगण ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी कर दस्तावेज पटवार हल्का को शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किए जिन पर पटवार हल्का ने फौती दाखिल उनके वारिसों अर्थात अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरण रजिस्टर में प्रविष्ठि कर उक्त आराजी के नामान्तरण अपीलार्थी के नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किये जिन्हें भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच कर सही पाए गए एवं नामान्तरण रजिस्टर में इस बात की प्रविष्ठी की तथा नामान्तरण रजिस्टर में प्रविष्ठि कर ग्राम पंचायत खरवा के सरपंच के समक्ष स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत किये, इस पर सरपंच खरवा ने बिना किसी कारण के, बिना किसी औचित्य के नामान्तरण को स्वीकृत नहीं किया एवं नामान्तरण स्वीकृत नहीं किये जाने का नोट अंकित कर दिया एवं ना ही कोई कारण वर्णित किया अर्थात् बिना किसी विधिक कारण के नामान्तरण अस्वीकृत किया जो अविधिक एवं गलत है। बन्नेसिंह जी की आराजी ग्राम धुवाडिया, पटवार क्षेत्र धुवाडिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नागेलाव तहसील पीसांगन जिला अजमेर में भी खाता संख्या 122 (नई) 17 (पुरानी) आराजी स्थित है जिसका नामान्तरण अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किया जा चुका है तथा वहां के सरपंच ने नामान्तरण स्वीकार किया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरण प्रविष्ठी संख्या 3078 ग्राम सभा बैठक 20.12.18 प्रस्ताव संख्या 6 ग्राम पंचायत खरवा द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये नामान्तरण आदेश को निरस्त किया जाकर पैरा संख्या 1 क व ख में वर्णित आराजी का नामान्तरण अपीलार्थीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमावें।

अपील प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने बावजूद नोटिस तामीली के कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया। तहसीलदार मसूदा ने बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर कथन किए हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकृत किया गया है।

प्रकरण में अधिवक्ता अपीलार्थीगण व पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार मसूदा की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी के कथन कमोबेश उनके अपील अनुसार ही रहे। पेरोकार सरकार ने मौखिक कथन किए कि अपील स्वीकार की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम खरवा पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 217 में अंकित खसरा संख्या 2250/1 रकबा 1 रकबा 18–03–10 किस्म बा.3 जो बन्नेसिंह वल्द सार्दुलसिंह उमाकान्त देवी पत्नि केशवसेन कौम राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 218 में अंकित खसरा संख्या 2249 रकबा 02–10–00 किस्म बा.3, 2250/2 रकबा 00–08–00 किस्म बा.3 जो बन्नेसिंह वल्द सार्दुलसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज होना पाया गया। नामान्तरकरण रजिस्टर के प्रविष्टि क्रमांक 3078 में खाता संख्या 217 व 218 में अंकित खसरान पर पटवारी हल्का द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक को प्रस्तुत किया गया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक खरवा द्वारा दिनांक 17.11.2018 को बाद जांच नवीन अंकन सही पाया जाना अंकित किया है जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत खरवा द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 ग्राम सभा बैठक दिनांक 20.12.2018 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया तथा प्रस्ताव संख्या 6 में उक्त वारिसान को ग्राम में नहीं रहने के कारण एवं कब्जा

निरन्तर———

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी

नहीं होने के कारण नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जाना अंकित है। अपीलार्थीगण ने ग्राम धुवाडिया पटवार क्षेत्र धुवाड़िया भू अभिलेख निरीक्षक नागेलाव तहसील पीसांगन की जमाबन्दी संवत् 2069—72 की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 122 में वर्णित आराजियात जो बन्नेसिंह वल्द सार्दुलसिंह श्रीमती उमाकंवरदेवी दुख्तर विजयप्रतापसिंह कौम राजपूत सा. खरवा खातेदार दर्ज है एवं इसके नामान्तरकरण संख्या 376 दिनांक 20.07.2018 से बन्नेसिंह पि. सार्दुलसिंह के बजाय सुगनकंवर पत्नि बन्नेसिंह लक्ष्मणसिंह प्रतापसिंह प्रेमकंवर नन्दाकंवर कमलाकंवर गणेशकंवर पि. बन्नेसिंह व हनुमानसिंह राजेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह सुनीता कंवर पि. अमरसिंह कौम राजपूत सा. श्रीराजधनपुरा तह. निवाई के नाम अंकन स्वीकार होना दर्ज पाया गया है। जिससे यह प्रथम दृष्टया साबित होता है कि अपीलार्थीगण ही बन्नेसिंह वल्द सार्दुलसिंह श्रीमती उमाकंवरदेवी दुख्तर विजयप्रतापसिंह कौम राजपूत के वारिसान हैं।

पत्रावली एवं दस्तावेजात के अवलोकन एवं विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण बन्नेसिंह वल्द सार्दुलसिंह श्रीमती उमाकंवरदेवी दुख्तर विजयप्रतापसिंह के वारिसान होने के प्रमाण हैं जिसको सरपंच ग्राम पंचायत खरवा ने अपने कोरम प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 20.12.2018 में ग्राम में नहीं रहने व कब्जा नहीं होने के कथन अंकित किये है परन्तु उक्त अपीलार्थीगण श्री बन्नेसिंह के वारिसान है अथवा नहीं, इस बाबत् कोई टिप्पणी नहीं की है तथा किन्हीं वारिसान के ग्राम में निवास नहीं किये जाने की स्थिति में नामान्तरकरण को रोका नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं तथा नामान्तरकरण संख्या 3078 दिनांक 20—12—2018 पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार मसूदा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को सुनकर एवं विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.11 14:40:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: